

बिहार सरकार

कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ. बजट-आवंटन-29/2017-70(आवंटन)/कृ., पटना, दिनांक 10-10-2017

MAIL/FAX

प्रेषक,

प्रभु राम

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

कृषि निदेशक, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (शष्य) पाट, बिहार, पूर्णियाँ/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना/नालंदा/भोजपुर/कैमूर (मभुआ)/औरंगाबाद/मुजफ्फरपुर/मधुबनी/समस्तीपुर/सहरसा/सुपौल/मधेपुरा/पूर्णियाँ/अररिया/रोहतास/गया/सारण/सिवान/गोपालगंज/पूर्वी चम्पारण/प० चम्पारण/सीतामढ़ी/वैशाली/दरभंगा/बेगुसराय/लखीसराय/खगड़िया/भागलपुर/किशनगंज/कटिहार/बक्सर/जहानाबाद/अरवल/नवादा/शिवहर/मुंगेर/शेखपूरा/जमुई/बाँका।

विषय : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना अंतर्गत वित्तीयवर्ष 2017-18 में कुल 9149.20 लाख रुपये (एकानवे करोड़ उनचास लाख बीस हजार रुपये) की लागत से योजना कार्यान्वयन एवं इसके अंतर्गत केन्द्रांश मद में 4577.86 लाख रु० (पैंतालीस करोड़ सतहत्तर लाख छियासी हजार रु०) एवं इसके समानुपातिक राज्यांश मद में 3051.90 लाख रु० (तीस करोड़ एकावन लाख नब्बे हजार रु०) तथा राज्यांश मद से अतिरिक्त सहायता के रूप में 1519.44 लाख रु० (पन्द्रह करोड़ उन्नीस लाख चौवालीस हजार रु०) कुल 9149.20 लाख रु० (एकानवे करोड़ उनचास लाख बीस हजार रु०) व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु कुल ₹12,12,12,100 (बारह करोड़ बारह लाख बारह हजार एक सौ रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3768-दिनांक-21.09.2017 द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना अंतर्गत वित्तीयवर्ष 2017-18 में कुल 9149.20 लाख रुपये (एकानवे करोड़ उनचास लाख बीस हजार रुपये) की लागत से योजना कार्यान्वयन एवं इसके अंतर्गत केन्द्रांश मद में 4577.86 लाख रु० (पैंतालीस करोड़ सतहत्तर लाख छियासी हजार रु०) एवं इसके समानुपातिक राज्यांश मद में 3051.90 लाख रु० (तीस करोड़ एकावन लाख नब्बे हजार रु०) तथा राज्यांश मद से अतिरिक्त सहायता के रूप में 1519.44 लाख रु० (पन्द्रह करोड़ उन्नीस लाख चौवालीस हजार रु०) कुल 9149.20 लाख रु० (एकानवे करोड़ उनचास लाख बीस हजार रु०) व्यय की स्वीकृति हुई है। व्यय हेतु कुल ₹12,12,12,100 (बारह करोड़ बारह लाख बारह हजार एक सौ रुपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹12,12,12,100 (बारह करोड़ बारह लाख बारह हजार एक सौ रुपये) मात्र में से केन्द्रांश ₹5,31,83,000 (पाँच करोड़ एकतीस लाख तेरासी हजार रु०) का व्यय बजट शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-102-खाद्यानों की फसलें-मांग संख्या-1-उपशीर्ष-0201-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, विपत्र कोड-01-2401001020201-पी०एफ०एम०एस० कोड-9140- विषयशीर्ष-0201.31.06-सहायक अनुदान गैर वेतन मद में वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. उपरोक्त ₹12,12,12,100 (बारह करोड़ बारह लाख बारह हजार एक सौ रुपये) मात्र में से केन्द्रांश ₹1,01,02,000 (एक करोड़ एक लाख दो हजार रु०) का व्यय बजट शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना -मांग संख्या-1- उपशीर्ष-0237- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, विपत्र कोड-01-2401007890237, पी०एफ०एम०एस० कोड-9140- विषयशीर्ष-0237.31.06-सहायक अनुदान गैर वेतन मद में वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

पत्र संख्या-3/कृ. बजट-आवंटन-29/2017

4. उपरोक्त ₹12,12,12,100 (बारह करोड़ बारह लाख बारह हजार एक सौ रुपये) मात्र में से केन्द्रांश ₹5,75,000 (पाँच लाख पचहत्तर हजार रु०) का व्यय बजट शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना -मांग संख्या-1- उपशीर्ष-0259- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, विपत्र कोड-01-2401007960259, पी०एफ०एम०एस० कोड-9140- विषयशीर्ष-0259.31.06-सहायक अनुदान गैर वेतन मद में वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. उपरोक्त ₹12,12,12,100 (बारह करोड़ बारह लाख बारह हजार एक सौ रुपये) मात्र में से राज्यांश ₹3,54,55,000 (तीन करोड़ चौवन लाख पचपन हजार रु०) का व्यय बजट शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-102-खाद्यानों की फसलें-मांग संख्या-1- उपशीर्ष-0301-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, विपत्र कोड-01-2401001020301-पी०एफ०एम०एस० कोड-9140- विषयशीर्ष-0301.31.06-सहायक अनुदान गैर वेतन मद में वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

6. उपरोक्त ₹12,12,12,100 (बारह करोड़ बारह लाख बारह हजार एक सौ रुपये) मात्र में से राज्यांश ₹96,05,000 (छियानवे लाख पाँच हजार रु०) का व्यय बजट शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना -मांग संख्या-1- उपशीर्ष-0323- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, विपत्र कोड-01-2401007890323, पी०एफ०एम०एस० कोड-9140- विषयशीर्ष-0323.31.06-सहायक अनुदान गैर वेतन मद में वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

7. उपरोक्त ₹12,12,12,100 (बारह करोड़ बारह लाख बारह हजार एक सौ रुपये) मात्र में से राज्यांश ₹5,73,000 (पाँच लाख तिहत्तर हजार रु०) का व्यय बजट शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना -मांग संख्या-1- उपशीर्ष-0359- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, विपत्र कोड-01-2401007960359, पी०एफ०एम०एस० कोड-9140- विषयशीर्ष-0359.31.06-सहायक अनुदान गैर वेतन मद में वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

8. उपरोक्त ₹12,12,12,100 (बारह करोड़ बारह लाख बारह हजार एक सौ रुपये) मात्र में से राज्य स्कीम ₹97,28,100 (सन्तानवे लाख अठाईस हजार एक सौ रु०) का व्यय बजट शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-103-बीज-मांग संख्या-1- उपशीर्ष-0109-बीज गुणन फार्मों का विस्तार खेती पर व्यय, विपत्र कोड-01-2401001030109- विषयशीर्ष-0109.33.01-सब्सिडी मद में वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

9. उपरोक्त ₹12,12,12,100 (बारह करोड़ बारह लाख बारह हजार एक सौ रुपये) मात्र में से राज्य स्कीम ₹18,73,300 (अठारह लाख तिहत्तर हजार तीन सौ रु०) का व्यय बजट शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना -मांग संख्या-1- उपशीर्ष-0117- बीज उत्पादन कार्यक्रम, विपत्र कोड-01-2401007890117, विषयशीर्ष-0117.33.01-सब्सिडी मद में वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।


10. उपरोक्त ₹12,12,12,100 (बारह करोड़ बारह लाख बारह हजार एक सौ रुपये) मात्र में से राज्य स्कीम ₹1,17,700 (एक लाख सतरह हजार सात सौ रु०) का व्यय बजट शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना -मांग संख्या-1- उपशीर्ष-0140-बीज उत्पादन कार्यक्रम, विपत्र कोड-01-2401007960140, विषयशीर्ष-0140.33.01-सब्सिडी मद में वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं पत्रांक:-3002 वि. (2) दिनांक-26.04.2017 के आलोक में दी जा रही है।

6. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निदेशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. व्यय के तुरंत बाद टी. भी. नं. के साथ व्यय विवरणी अद्योहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन


(प्रभु राम)

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

पत्र संख्या-3/कृ. बजट-आवंटन-29/2017

ज्ञापांक 70 (आवंटन)

/कृ., पटना, दिनांक 10-10-2017

प्रतिलिपि : विवरणी सहित महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. विवरणी सहित संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन) सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

70 (आवंटन)

/कृ., पटना, दिनांक 10-10-2017

प्रतिलिपि : विवरणी सहित वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/ निदेशक बागवानी मिशन, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, बिहार पटना/निदेशक, पी.पी.एम., बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर/कुलपति बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर/प्रबंध निदेशक बिहार, राज्य बीज निगम/संयुक्त निदेशक, (शष्य) योजना कृषि विभाग, बिहार पटना/ सभी उप निदेशक (शष्य) प्रक्षेत्र/बीज, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी कृषि यांत्रीकरण कोषांग/प्रभारी पदाधिकारी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना/प्रभारी पदाधिकारी राष्ट्रीय खाद सुरक्षा मिशन/प्रभारी पदाधिकारी आत्मा कृषि विभाग, बिहार पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/सभी जिला नोडल पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, योजना (सचिवालय/निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन) सह-अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

/कृ., पटना, दिनांक 10-10-2017

ज्ञापांक -

70 (आवंटन)

प्रतिलिपि :- विवरणी सहित उप निदेशक (शष्य), सूचना बिहार, पटना/आई. टी. मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी तथा कोषागार पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन) सह-अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
कृषि विभाग

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3768 दिनांक-21.09.2017 द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत राशि का आवंटन विवरणी।

क्रम सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	आवंटित राशि रु० में																
		केन्द्रांश				राज्यांश				राज्य स्कीम (बीज अनुदान)				राज्यांश (कृषि यांत्रिकरण)				
		विपत्र कोड 01-240100 1020201	विपत्र कोड 01-240100 7890237	विपत्र कोड 01-240100 7960259	योग	विपत्र कोड 01-240100 1020301	विपत्र कोड 01-240100 7890323	विपत्र कोड 01-240100 7960359	योग	विपत्र कोड 01-240100 1030109	विपत्र कोड 01-240100 7890117	विपत्र कोड 01-240100 7960140	योग	विपत्र कोड 01-240100 1020301	विपत्र कोड 01-240100 7890323	विपत्र कोड 01-240100 7960359	योग	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	जिला कृषि पदाधिकारी, पटना।	14,89,000	2,80,000	16,000	17,85,000	9,93,000	1,86,000	11,000	11,90,000	1,44,800	27,900	1,700	1,74,400	-	90,000	5,000	95,000	32,44,400
2	जिला कृषि पदाधिकारी, नालंदा।	12,27,000	2,31,000	13,000	14,71,000	8,18,000	1,54,000	9,000	9,81,000	1,09,600	21,100	1,300	1,32,000	-	80,000	5,000	85,000	26,69,000
3	जिला कृषि पदाधिकारी, भोजपुर।	9,78,000	1,84,000	11,000	11,73,000	6,52,000	1,23,000	7,000	7,82,000	1,00,400	19,400	1,200	1,21,000	-	55,000	5,000	60,000	21,36,000
4	जिला कृषि पदाधिकारी, भभुआ।	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	जिला कृषि पदाधिकारी, औरंगाबाद।	8,17,000	1,54,000	9,000	9,80,000	5,44,000	1,03,000	6,000	6,53,000	88,800	17,100	1,100	1,07,000	-	45,000	5,000	50,000	17,90,000
6	जिला कृषि पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर।	18,68,000	3,52,000	20,000	22,40,000	12,45,000	2,35,000	13,000	14,93,000	4,60,700	88,800	5,600	5,55,100	-	1,55,000	10,000	1,65,000	44,53,100
7	जिला कृषि पदाधिकारी, मधुबनी।	21,53,000	4,05,000	24,000	25,82,000	14,35,000	2,70,000	16,000	17,21,000	4,73,100	91,200	5,700	5,70,000	-	1,90,000	10,000	2,00,000	50,73,000
8	जिला कृषि पदाधिकारी, समस्तीपुर।	35,71,000	6,83,000	39,000	42,93,000	23,81,000	4,56,000	25,000	28,62,000	9,58,700	1,84,800	11,600	11,55,100	-	1,90,000	15,000	2,05,000	85,15,100
9	जिला कृषि पदाधिकारी, सहरसा।	19,22,000	3,67,000	21,000	23,10,000	12,82,000	2,44,000	14,000	15,40,000	3,86,000	74,400	4,700	4,65,100	-	95,000	5,000	1,00,000	44,15,100
10	जिला कृषि पदाधिकारी, सुपौल।	23,93,000	4,50,000	25,000	28,68,000	15,96,000	3,00,000	16,000	19,12,000	2,95,500	57,000	3,600	3,56,100	-	1,50,000	10,000	1,60,000	52,96,100
11	जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा।	23,14,000	4,42,000	26,000	27,82,000	15,41,000	2,95,000	18,000	18,54,000	4,31,600	83,200	5,200	5,20,000	-	1,25,000	10,000	1,35,000	52,91,000
12	जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्णियाँ।	30,99,000	5,91,000	33,000	37,23,000	20,66,000	3,94,000	22,000	24,82,000	6,35,000	1,22,400	7,700	7,65,100	-	1,35,000	10,000	1,45,000	71,15,100
13	जिला कृषि पदाधिकारी, अररिया।	23,52,000	4,42,000	26,000	28,20,000	15,68,000	2,95,000	16,000	18,79,000	3,32,000	64,000	4,000	4,00,000	-	1,20,000	10,000	1,30,000	52,29,000
14	जिला कृषि पदाधिकारी, रोहतास।	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

उत्तर

25/10/17

